अध्याय १६

बाजारों, वधशालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यों, आदि का विनियमन

४२१. किसे निजी बाजार और वधशाला समझा जायगा—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ [ख१][निगम] और वधशालाओं से भिन्न समस्त बाजारों और वधशालाओं को निजी बाजार और वधशालाएँ समझा जायगा।

४२२. बाजारों और वधशालाओं, आदि के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार—इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित का अधिकार होगा—

(क) [१][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर उसे [१][निगम] की सीमा के भीतर और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उसकी सीमा के बाहर किसी [१][निगम] के बाजार या [१][निगम] की वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, खरीदना, पट्टे पर लेना या किसी अन्य प्रकार से अर्जित करना और किसी वर्तमान [१][निगम] को बाजार या वधशाला का विस्तार या सुधार करना ;

(ख) समय–समय पर ऐसे [१][निगम] के बाजारों, वधशालाओं और वधार्थ पशु–स्थानों और ऐसी छोटी दूकानों, दूकानों, आश्रय स्थलों, बाड़ों (pens) तथा अन्य भवनों और सुख–सुविधा के स्थानों को, जो उक्त [१][निगम] के बाजारों, वधशालाओं या वधार्थ पशु–स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहाँ पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायं, बनवाना और उनका संधारण करना ;

(ग) ऐसे किसी [१][निगम] के बाजार में ऐसे भवनों, स्थानों, मशीनों, बाटों–तराजुओं और मापों के, जिन्हें वह वहाँ बिकने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के प्रयोजनार्थ उचित समझे, के संधारण की व्यवस्था करना ;

(घ) [१][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, किसी [१][निगम] के बाजार या वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके किसी भाग को बन्द करना और इस प्रकार बन्द किये गये किसी बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके भाग के लिए अध्यासित भू–गृहादि को [१][निगम] की सम्पत्ति के रूप में निस्तारित करना ;

(ङ) [१][निगम] की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर, सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी [१][निगम] के बाजार के पचास गज की दूरी के भीतर उक्त [१][निगम] के बाजार में साधारणतया बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं को, जो नोटिस में निर्दिष्ट हों या उनमें से किसी वस्तु को बेचने या बेचने के लिए प्रदर्शित करने का प्रतिषेध करना और इसी प्रकार [१][निगम] की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नोटिस को किसी भी समय निरस्त या परिष्कृत करना ;

(च) [१][निगम] के बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में किसी छोटी दूकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिए, और किसी [१][निगम] के बाजार में विक्रय के प्रयोजनार्थ वस्तुएँ प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में बेचे जाने वाले सामान को तौलने और मापने का अधिकार प्रदान करना तथा ऐसी किसी [१][निगम] की वधशाला में पशुओं के वध का अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध मं ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क लेना, जो कार्यकारिणी–समिति की स्वीकृति से, एतदर्थ समय–समय पर उसके द्वारा नियत किया जाय ;

(छ) कार्यकारिणी–समिति की स्वीकृति के उपर्युक्त प्रकार से लगाये जाने वाले भाड़े, किराये और शुल्क या उसके किसी भाग को एक समय में किसी ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न हो, निर्धारित करना ;

(ज) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी [१][निगम] के बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में किसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़े अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार का सार्वजनिक नीलाम करने या कार्यकारिणी–समिति की स्वीकृति से निजी बिक्री द्वारा उसे निस्तारित करना।

४२३. निजी बाजारों तथा निजी वधशालाओं का खोला जाना–(१) [१][निगम] समय–समय पर यह निर्धारित करेगी कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में नये निजी बाजारों की स्थापना की अथवा निजी वधशालाओं की स्थापना या उनके संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं।

(२) बिना मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के और उससे अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुए, जो ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उपधारा (१) के अधीन [१][निगम] के तत्सामयिक निर्णयों द्वारा निर्देशित होगा, कोई भी युक्ति मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत पशुओं या मानव–योजना की कोई वस्तु या पशुधन या पशुधन के निमित्त खाद्य–सामग्रियों की बिक्री के लिए न तो किसी निजी बाजार की स्थापना करेगा और न किसी निजी वधशाला की स्थापना या उसका संधारण करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी नियत दिन पर पहले से ही विधितः स्थापित किसी निजी बाजार या वधशाला को चलाने की स्वीकृति देने या उसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार न करेगा, यदि ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक से दो महीने के भीतर आवेदन–पत्र दिया गया हो, सिवाय इस आधार पर कि उस स्थान में जहाँ बाजार या वधशाला की स्थापना की गई है, इस अधिनियम की या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है।

(३) जब इस प्रकार किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी स्वीकृति का नोटिस हिन्दी या किसी ऐसी अन्य भाषाओं में, जिन्हें [१][निगम] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान पर या उसके निकट, जहाँ ऐसा बाजार लगाया जाना है, किसी प्रमुख स्थल पर लगवा देगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान के स्वामी या अध्यासी के बारे में जहाँ किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की गई हो, यह समझा जायगा कि उसने ही ऐसे बाजार की स्थापना की है।

(४) मुख्य नगराधिकारी किसी कारण से किसी निजी बाजार को खुला रखने के सम्बन्ध में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित या उसके नवीकरण को अस्वीकार न करेगा सिवाय उस दशा के जब उसके स्वामी ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी विनियम अथवा किसी उपविधि का अनुपालन न किया हो।

(५) मुख्य नगराधिकारी उस दशा में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जब निजी बाजार का कोई स्वामी, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार, किसी ऐसे भाड़े, किराये, शुल्क या अन्य भुगतान की, जो किसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या उसमें किसी अन्य स्थान के अध्यासन या प्रयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से उसे उसके अभिकर्त्ता को प्राप्त हो, लिखित रसीद न दे।

(६) जब मुख्य नगराधिकारी ने निजी बाजार को खुला रखने के निमित्त किसी अनुज्ञप्ति को अस्वीकार, निरस्त या निलम्बित किया हो तो वह अपने द्वारा ऐसे किये जाने की नोटिस, ऐसी भाषा या भाषाओं में जिसे [ख३] [निगम] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान के जहाँ करे, उस भवन या स्थान के जहाँ पर ऐसा बाजार लगता हो, ऊपर या निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा देगा।

४२४. किसी [१][निगम] की वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि से जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअरों को हटाना—मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसे शुल्क का भुगतान किये बिना, जो वह विहित करे, कोई व्यक्ति किसी [१][निगम] की वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान से या किसी ऐसे [१][निगम] के बाजार या भू–गृहादि से जो वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान के निमित्त या सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता हो, या प्रयोग में लाये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअर न हटायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे पशु को हटाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी जो ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि के भीतर न बेचा गया हो और जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई आज्ञा में विहित अवधि से अवधि से अधिक अवधि तक ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्नान, बाजार या भू–गृहादि में न रहा हो या जिसे किसी/किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसी वधशाला, बाजार या भू–गृहादि में वध के लिये अुनपयुक्त घोषित कर दिया गया हो।

४२५. नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी किसी [१][निगम] के बाजार, वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान से किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकता है जो स्वयं, अथवा जिसका नौकर ऐसे बाजार, वधशाला या बधार्थ पशु–स्थान में प्रचलित किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो और ऐसे व्यक्ति या उसके नौकरों को उस बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में भविष्य में कोई व्यापार या व्यवसाय करने अथवा उसमें किसी छोटी दूकान, दूकान, खड़ा होने के स्थान, आश्रय–स्थान, बाड़ा या अन्य स्थान को अध्यासित करने से रोक सकता है, तथा किसी ऐसे पट्टे या भोगावधि को समाप्त कर सकता है, जो उस व्यक्ति को, ऐसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय–स्थान, बाड़े या अन्य स्थान के सम्बन्ध में रखता हो।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी निजी बाजार या वधशाला का स्वामी या ऐसे बाजार या वधशाला या उसमें किसी छोटी दूकान का पट्टेदार या ऐसे स्वामी या पट्टेदार या कोई अभिकर्त्ता या नौकर, किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी, पट्टेदार, अभिकर्त्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में दिया हुआ हो, चले जाने का आदेश दे सकता है और यदि वह उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त जिस पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाय, ऐसे भू–गृहादि से तुरन्त हटाया जा सकता है।

(३) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे मामले में स्वामी या पट्टेदार उपर्युक्त ऐसे दोषी ठहराये गये नौकर या अभिकर्त्ता के साथ अभिसंधि (collusion) से कार्य कर रहा है, जो उपधारा (२) के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करता, तो मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में उस स्वामी या पट्टेदार की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है।

४२६. बिना अनुज्ञप्ति के [१][निगम] के बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध—(१) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी [१][निगम] के बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।

(२) किसी भी व्यक्ति को जो इस धारा का उल्लंघन करे, किसी [ख४][निगम] के पदाधिकारी या नौकर द्वारा तुरन्त हटाया जा सकता है।

४२७. अनधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध—यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि कोई बाजार मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया है या उसे खुला रखने की अनुज्ञप्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा अस्वीकृत, निरस्त या निलंबित हो जाने के पश्चात् भी उसे खुला रखा गया है तो वह उसमें किसी पशु या मानव–भोजन के किसी वस्तु या पशुधन (livestock) या पशुधन की भोजन–सामग्री को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।

४२८. बाजारों से अन्यत्र पशुओं, आदि की बिक्री का प्रतिषेध—मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा—

(क) [१][निगम] या निजी बाजार से भिन्न किसी स्थान में मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत कोई चौपाया या किसी प्रकार का मांस या मछली ;

(ख) [१][निगम] के बाजार, निजी बाजार या अनुज्ञप्त भोजनालय या मिठाई की दूकान से भिन्न किसी स्थान में बर्फ और शर्बत या सोडावाटर, कुल्फी, गन्ने का रस, कुटा या छिला हुआ फल और सब्जी, किसी भी प्रकार के बिस्कुट, पेस्ट्री इत्यादि या मिठाइयाँ अथवा ऐसा अन्य पका हुआ भोजन या मानव–उपभोग के लिए अभिप्रेत अन्य वस्तुएँ जिन्हें समय–समय पर मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट करें।

४२९. बिक्री के निमित्त रखे गये पशुओं के वध पर निर्बन्धन—कोई व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना, नगर में बिक्री के लिए रखे गये किसी पशु, [१][निगम] की वधशाला या अनुज्ञप्त निजी वधशाला के अतिरिक्त किसी और स्थान में न वध करेगा और न वध करवायेगा।

४३०. ऐसे पशुओं के जो बिक्री के लिए अभिप्रेत न हों या जिनका वध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता हो, वध के लिए स्थान—मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा, और [१][निगम] की पूर्व स्वीकृति से, नगर के भीतर ऐसे भू–गृहादि निश्चित कर सकता है, जिससे किसी विशेष प्रकार के पशु वध करने, जो बिक्री के लिए न हों, या उस पशु के शव को काटने की अनुज्ञा दी जायेगी और सिवाय उस दशा के जब आवश्यकता पड़े नगर में किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के वध का प्रतिषेध कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे पशुओं पर लागू न होंगे, जिनका किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ वध किया जाता हो।

४३१. ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिसका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता, जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार—जब कभी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह विहित प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी नगर की सीमा के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पशुओं के वध का प्रतिषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिसके द्वारा ऐसे पशु वध–स्थान में लाये जायेंगे तथा वहाँ से मांस बाहर ले जाया जायगा, विहित कर सकता है।

४३२. बिना अनुज्ञा नगर में पशु, आदि के आयात का प्रतिषेध—(१) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु, भेंड़, बकरी या सुअर को या ऐसे किसी पशु के मांस को नगर में न लायेगा जिसका किसी ऐसी वधशाला में वध किया गया हो, जिसका संधारण इस अधिनियम के अधीन न किया जाता हो या जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न हो।

(२) कोई पुलिस पदाधिकारी बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो उपधारा (१) का उल्लंघन करके नगर के भीतर किसी पशु या उसके मांस को ला रहा हो।

(३) इस धारा का उल्लंघन करके नगर में लाये गये किसी पशु का मुख्य नगराधिकारी या [ख५][निगम] का होगा।

(४) इस धारा की कोई बात उपचारित (cured) या संरक्षित (preserved) मांस के सम्बन्ध में लागू न समझी जायगी।

४३३. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों

के प्रतिकूल पशु–वध या मांस की बिक्री किये जाने का सन्देह हो–(१) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है अथवा किसी ऐसे पशु का मांस किसी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से बेचा जा सकता है या बेचने के प्रयोजनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथावत् प्राधिकृत नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी किसी भी दिन, दिन को या रात को, बिना नोटिस दिये, इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि वहाँ इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस का जो वहाँ इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस का जो वहाँ पाया जाय, अभिग्रहण कर सकता है।

(३) यदि इस प्रकार अधिग्रहण किये जाने के एक महीने के भीतर पशु, पशु के शव या मांस की स्वामी मुख्य नगराधिकारी के सामने उपस्थित होकर उसके सन्तोषनुसार अपने दावे को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि ऐसा स्वामी ऐसे पशु या शव या मांस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उपधारा (१) के अधीन किसी बिक्री से प्राप्त होने वाला धन [१][निगम] में निहित हो जायगा।

(४) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी क्षेति के लिए, जो उपधारा (१) के अधीन किये गये किसी प्रवेश के कारण या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक किसी बल–प्रयोग के कारण अनिवार्यतः पहुँची हो, कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा।

४३४. मुख्य नगराधिकारी मानव–भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गयी वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा–मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे पशुओं, उनके शवों, गोश्त, मुर्ग–मुर्गियाँ, आखेट पशु, मांस, मछली, फल, सब्जी, अनाज, रोटी, आटा, दुग्धशाला के पदार्थों या अन्य वस्तुओं की निरन्तर एवं सतर्क निरीक्षण की व्यवस्था करे, जो बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हों तो जिन्हें फेरी लगाकर बेचा जाता हो या जो बिक्री के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में जमा की गयी या लायी गयी हो तथा जो मानव–भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत हों। यह प्रमाणित करने का भार दोषारोपित पक्ष पर होगा कि उक्त वस्तुएँ न प्रदर्शित की गयी थीं, न फेरी लगाकर बेची गयी थीं, न उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ जमा किया या लाया गया था और न वे मानव–भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत थीं।

४३५. अस्वास्थ्यकर (unwholesome) वस्तुओं आदि का अभिग्रहण–(१) मुख्य नगराधिकारी सभी उचित समयों पर पूर्वोक्त किसी पशु या वस्तु का और उन्हें तैयार करने, बनाने या रखने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले बर्तन या भाड़े का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है।

(२) यदि मुख्य नगराधिकारी को कोई ऐसा पशु या ऐसी कोई वस्तु मानव–भोजन के लिए यथास्थिति रोग्रस्त या विकृत या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त प्रतीत हो या वह वैसी न हो जैसी कि बतायी गई हो या यदि कोई बर्तन या भाड़ा इस प्रकार का या ऐसी दशा में हो कि उसमें तैयार की गयी, बनाई गई या र खी गयी हो, वस्तुएँ मानव भोजन के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जाँय तो वह ऐसे पशु, वस्तु, बर्तन या भाड़े का अभिग्रहण कर सकता है और उसे उठा ले जा सकता है, जिससे उसके संबंध में आगे उपबन्धित ढंग से कार्यवाही की जा सके और वह ऐसे किसी पशु या वस्तु के अवधायक या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम थाने में ले जा सकता है।

४३६. धारा ४३५ के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण—यदि किसी गोश्त, मछली, सब्जी या अन्य खराब होने योग्य वस्तु का धारा ४३५ के अधीन अभिग्रहण किया जाय और वह मु ख्य नगराधिकारी की राय में यथास्थिति रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर या मानव–भोजन के लिए अनुपयुक्त हो, तो मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उसे उस रीति से नष्ट करवा देगा कि वह फिर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने अथवा मानव–भोजन के लिए प्रयोग किये जाने के योग्य न रह जायँ और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा जिसके अध्यासन में वह वस्तु अभिग्रहण करने के समय थी।

४३७. हानिकारक व्यापार का विनियमिन—(१) यदि मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह बताया जाय कि नगर की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि को कोई व्यक्ति वस्तु के निर्माण, संग्रह, व्यवहार या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्ट्री के रूप में या अन्य व्यापारिक स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करना चाहता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा अभिप्रेत प्रयोग के कारण कोई सार्वजनिक अपदूषण पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, तो मुख्य नगराधिकारी विकल्प का प्रयोग करके ऐसे भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी को सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि वह—

(क) उक्त भवन या भूमि की यथास्थिति पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने या प्रयोग किये जाने की अनुमति देने सेरोके या मना करे, या

(ख) उक्त भवन या स्थान को केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसी दशाओं में या ढाँचे सम्बन्धी ऐसे परिवर्तन के पश्चात् जिन्हें [ख्द्द][निगम] आरोपित करे या जो उक्त प्रयोजनार्थ उक्त भवन या स्थान के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस विहित करे, प्रयोग करे या प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस को प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति ऐसे नोटिस का उल्लंघन करके, अपराधी ठहराये जाने पर, जुर्माना किया जायगा, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है और उसे इसके अतिरिक्त भी जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम बार अपराधी ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब वह उस स्थान या भवन का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, चालीस रुपये तक हो सकता है।

४३८. बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुएँ न रखी जायेंगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे—सिवाय मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निर्बन्धनों और शर्तों के अनुकूल कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, उपविधियों में निर्दिष्ट कोई वस्तु किसी परिमाण में अथवा उपविधियों में उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट ऐसे अधिकतम परिमाण से अधिक परिमाण में न रखेगा जो किसी एक समय में बिना अनुज्ञप्ति के उस भू–गृहादि में या उसके ऊपर रखा जा सकता हो ;

(ख) किसी ऐसे भवन में या उसके ऊपर, जो निवास के लिए अभिप्रेत हो या प्रयोग में लाया जा रहा हो, अथवा ऐसे भवन के १५ फीट के भीतर, ४ [ख७]हण्ड्रेड–वेट (hundred-weight) से अधिक परिमाण में कपास की दबी हुई गाँठों में या बोरों में या खुली हुई रुई या कपास न रखेगा ;

(ग) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए घोड़े, पशु या अन्य चौपाये न रखेगा और न रखने की अनुज्ञा देगा :

(१) बिक्री के लिए,

(२) किराये पर देने के लिए,

(३) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई पारिश्रमिक मिलता हो, अथवा

(४) उसके किसी उत्पादन की बिक्री के लिए।

(घ) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, निम्नलिखित कोई कार्य न सम्पादित करेगा और न संपादित करने की अनुज्ञा देगा—

(१) उपविधियों में निर्दिष्ट किसी व्यापार से संसक्त कोई व्यापार या कार्य ;

(२) कोई ऐसा व्यापार या कार्य, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, या जिससे उनके प्रकार के कारण या ऐसी रीति या उन शर्तों के कारण जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो या सम्पादित करने का विचार हो, कोई अपदूषण पैदा होने की संभावना हो :

(ङ) नगर के भीतर अश्व चिकित्सक का व्यापार या कार्य न करेगा और न किसी भू–गृहादि का उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) के अनुच्छेद (२) के अर्थ में कोई भी व्यक्ति इस बात से अभिन्न समझा जायगा कि अमुक व्यापार खतरनाक है या उससे अपदूषण पैदा होने की संभावना है। यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का लिखित नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील कर दिया गया हो या उस भू–गृहादि पर चिपका दिया गया हो, जिससे उस नोटिस का सम्बन्ध हो।

(३) उपधारा (१) के खंड (घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह व्यापार या कार्य सम्पादित कर रहा है या उनसे व्यापार या कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की है, यदि वह ऐसे व्यापार के बढ़ाने के लिए कोई कोई कार्य करता है या वह प्रधान अभिकर्त्ता, लिपिक, स्वामी, नौकर, श्रमिक, दस्तकार के रूप में या अन्य प्रकार से उसमें किसी तरह संलग्न है या उससे सम्बन्ध रखता है।

(४) यदि उपधारा (१) के खंड (ग) या (घ) में वर्णित रीति से किसी भू–गृहादि का प्रयोग किया जा रहा हो जब तक कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायगी कि ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने या दोनों ही ने उक्त प्रयोग की अनुमति दी है।

(५) मुख्य नगराधिकारी के लिए यह वैध होगा कि—

(क) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति को ऐसे अतिरिक्त निर्बन्धनों या शर्तों के (यदि कोई हों) अधीन रखते हुए वे, जो मामले की परिस्थिति को देखते हुए उसे उपयुक्त जान पड़े ;

(ख) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति को रोक ले।

(६) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई हो, ऐसी अनुज्ञप्ति को उस भू–गृहादि, यदि कोई हो, या उसके ऊपर रखेगा, जिससे उसका सम्बन्ध हो।

(७) मुख्य नगराधिकारी दिन अथवा रात में किसी भी समय ऐसे भू–गृहादि में प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके प्रयोग के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो।

(८) उपधारा (६) और (७) की कोई बात रुई, जूट, ऊन या रेशम की कताई या बुनाई की मिलों या ऐसी किसी अन्य बड़ी मिल, फैक्ट्री पर लागू न होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर कार्यकारिणी–समिति के अनुमोदन से उक्त धारा के प्रवर्तन से विशेष रूप से मुक्त कर दे।

(९) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उस क्षति के लिए कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा, जो ऐसे प्रवेश के कारण अथवा ऐसा प्रवेश करने के सम्बन्ध में आवश्यक बल–प्रयोग करने के कारण अनिवार्यतः पहँची हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रवेश करने के लिए जब तक बल प्रयोग न किया जायगा, जब तक कि वह विश्वास करने का कारण न हो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अथवा उसके अधीन बनायी गई किसी उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध किया जा रहा है।

४३९. कसाइयों और ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी—कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकल—

(क) नगर के भीतर या [1][निगम] की वधशाला में कसाई का व्यापार न करेगा ;

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु के मांस की बिक्री के लिए न करेगा, और न उपभोग के प्रयोजनार्थ ऐसे मांस की बिक्री के लिए नगर के बाहर किसी स्थान का प्रयोग करेगा।

४४०. दुग्धशालाजन्य पदार्थों का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी—कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकूल—

(क) नगर के भीतर दुग्धशाला का व्यापार का कारबार न करेगा,

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग दुग्धशाला के रूप में या दुग्धशालाजन्य पदार्थों की बिक्री के लिए न करेगा।

४४१. शर्तें जिनके अधीन वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढाँचा–निर्माता, भू–मापक या नल–मिस्त्री नगर के भीतर अपना–अपना व्यापार कर सकते हैं—(१) प्रत्येक वास्तुशास्त्री (architect), अभियन्ता, ढाँचा–निर्माता भू–मापक, नल–मिस्त्री जो नगर में अपना व्यवसाय करता हो, तदर्थ मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति लेगा।

(२) अनुज्ञप्ति, उपविधियों द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए होगी, किन्तु विहित शुल्क अदा करने पर अतिरिक्त अवधियों के लिए उतनी बार उसका नवीकरण किया जा सकेगा जितनी बाद आवश्यक हो।

(३) धारा (१) के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति न दी जाएगी जब तक कि उसके लिए आवेदन–पत्र देने वाले व्यक्ति में वे अर्हताएँ न हों जो तदर्थ विहित की गई हों और अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन–पत्र अस्वीकृत न किया जायगा यदि प्रार्थी में उपर्युक्त अर्हताएँ वर्तमान हों। सिवाय उस दशा के जब इस बात की समुचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अक्षम है या वह, यथास्थिति वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढाँचा–निर्माता, भूमापक अथवा नल–मिस्त्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में गम्भीर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है।

४४२. अनुज्ञप्त नल–मिस्त्री उचित रूप में कार्य सम्पादित करने के लिए बाध्य होंगे—कोई अनुज्ञप्त नल–मिस्त्री इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य को असावधानी या अपेक्षा से सम्पादित न करेगा या ऐसे कार्य के प्रयोजन के लिए खराब सामग्री, उपकरण या संधायन का प्रयोग न करेगा।

४४३. कार्यकारिणी समिति नल–मिस्त्रियों के लिए शुल्क निश्चित करेगी—कार्यकारिणी समिति वह शुल्क व्यय निश्चित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन किसी या सभी प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्त नल–मिस्त्रियों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए दी जायगी और कोई अनुज्ञप्त नल–मिस्त्री ऐसे कार्य के लिए निश्चित शुल्क या व्यय से अधिक न माँगेगा और न प्राप्त करेगा।

४४४. अनैतिक प्रयोजनों के लिए इधर–उधर घूमता और याचना करना—यदि कोई व्यक्ति नगर की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में वेश्यागमन प्रयोजनार्थ घूमता है या लैंगिक अनैतिकता करने के लिए किसी व्यक्ति को संकेत करता है तो वह अपरीाध ठहराये जाने पर जुर्माने का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का निग्रहण न करेगा सिवाय प्रेरित व्यक्ति की शिकायत पर अथवा एतदर्थ क्रमशः [रु॰][निगम] और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप

में प्राधिकृत किये गये किसी [1][निगम] प्राधिकारी या पुलिस–प्राधिकारी, जो सब–इन्स्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, की शिकायत पर।

४४५. वेश्यागृह, आदि–(१) जब प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि–

(क) किसी उपसना–स्थल, शिक्षा संस्था के या किसी बोर्डिंग हाउस, छात्रावास या भोजनालय (mess) के निकट जिसका छात्र प्रयोग करते हों या जिसमें वे अध्यस्थित हों, कोई मकान वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अथवा किसी भी प्रकार के उच्छृंखल (disorderly) व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है ; या

(ख) कोई मकान उपर्युक्त रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो पास–पड़ोस के प्रतिष्ठित निवासियों के परिभव (annoyance) का कारण है ; या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस में कोई मकान वेश्यागृह या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है;

तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त मकान खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश दे सकता है कि वह ऐसी आज्ञा में लिखित अवधि के भीतर, जो उस आज्ञा के दिनांक से पाँच दिन से कम की न होगी, ऐसे प्रयोग को बन्द कर दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल–

(१) जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति या आज्ञा से ; या

(२) जिस मकान के सम्बन्ध में शिकायत हो, उसके ठीक पास–पड़ोस में रहने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर, या

(३) [1][निगम] की शिकायत पर, की जायगी।

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गई है, ऐसी आज्ञा में दी गई अवधि के भीतर, उक्त आज्ञा का अनुपालन न कर सके तो मैजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर

सकता है जो उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उस मकान को उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाय, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

४४६. भिक्षावृत्ति, आदि—यदि कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में लोगों को तंग करके भिक्षा माँगता है अथवा दान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी कुरूपता या रोग या दुर्गन्धयुक्त घाव या व्रण को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है तो अपराधी ठहराये जाने पर उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जो एक महीने तक हो सकताहै या जुर्माना किया जा सकता है, जो पचास रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं।

४४७. दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना—कोई भी व्यक्ति, उस पशु को जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या जो भोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकर पदार्थ न तो खिलायेगा और न खिलाने की अनुमति देगा।

४४८. ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाना, आदि—जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वलो संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को किसी भी स्थान में या नोटिस में निर्दिष्ट सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, पुआल या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाने या उन्हें संग्रह करने अथवा चटाइयाँ या फूस की झोपड़ी रखने या आग जलाने का प्रतिषेध कर सकता है।

४४६. खडंजों, आदि को स्थानच्युत करना—(१) कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे, गन्दी मोरी (gutter), झंडे या अन्य सामग्री, या उसकी मेंड़, दीवाल या खंभों या [१][निगम] की बत्ती (lamp), बत्ती का खंभा, ब्रेकेट, मार्ग निर्देशक स्तंभ, पानी का बम्बा, पानी निकालने का बम्बा या उसके भीतर की [१][निगम] की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को मुख्य नगराधिकारी यह अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना न स्थानच्युत करेगा, न लेगा और न उसमें परिवर्तन करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति [१][निगम] की बत्ती को नहीं बुझायेगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी काम के किये जाने के कारण [१][निगम] द्वारा जो व्यय किया जायगा वह अपराधी से अध्याय २१ में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकता है।

४५०. आग्नेयशास्त्र चलाना, आदि—कोई व्यक्ति उस रीति से आग्नेयशास्त्र न चलायेगा अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे न छोड़ेगा या खेल न करेगा, जिससे राह चलने वाले या पास–पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन को संकट पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुँचने का डर हो।

४५१. अनुज्ञप्तियाँ और लिखित अनुज्ञाएँ देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क, आदि के लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपबन्ध—(१) जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रयोजनार्थ कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा देने की व्यवस्था हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में वह अवधि जिनके लिए और वह निर्बन्धन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए वह दी गई हो और वह दिनांक भी दिया गया होगा, जिस तक उसके नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र देना होगा और वह अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर से या धारा ११९ के अधीन उसे देने के लिए अधिकृत किये गये किसी [ख्ख्][निगम] के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से दी जायगी।

(२) सिवाय उसदशा के जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की जाय, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से शुल्क लिया जा सकता है, जिसे [१][निगम] की स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर निश्चित करे।

(३) धारा ४२३ की उपधारा (२) के प्रतिबन्ध के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकती है, यदि उसका यह समधान हो जाय कि उसे गृहीता (holder) के भ्रान्त कथन या कपट से प्राप्त किया है या वह व्यक्ति, जिसे वह दी गई है, उसके किसी निर्बन्धन या शर्तों का अतिलंघन (infringe) या अपवंचन (evade) करता है या यदि उक्त व्यक्ति किसी ऐसे मामले में, जिससे उक्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सम्बन्ध रखती हो, इस अधिनियम या किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध का अतिलंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया है।

(४) यदि उक्त कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंहृत की जाय या जब वह अवधि जिसके लिये वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गई हो, तो वह व्यक्ति जिसे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, उस समय तक बिना अनुमति या लिखित अनुज्ञा के समझा जाएगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी यथास्थिति अपने द्वारा अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को निलम्बित या प्रतिसंहृत करने के निमित्त दी गई आज्ञा को निरस्त न कर दे या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखत अनुज्ञा के नवीकरण न कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक तक उसके नवीकरण के लिये कोई आवेदन–पत्र दे दिया गया हो, तो आज्ञा प्राप्त होने तक प्रार्थी को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार होगा, मानो कि उसका नवीकरण हो गया है।

(५) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई हो, सभी समुचित समयों पर, जब तक कि उक्त लिखित अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रचलित हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिये जाने पर, उस अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा।

(६) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र मुख्य नगराधिकारी को सम्बोधित किया जायगा।

(७) मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसकी ओर से अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए शुल्क स्वीकार किया जाना ही शुल्क देने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का अधिकारी नहीं बना देगा।

४५२. अनुज्ञप्ति शुल्क, इत्यादि—मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, स्वीकृत हुई या अनुज्ञा के लिए जिसका उसके द्वारा दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अधिकृत अथवा अपेक्षित है, उपविधि द्वारा निश्चित शुल्क ले सकता है।

४५३. नियम बनाने का अधिकार—(१) इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) [ख१०.][निगम] के या निजी बाजारों के भीतर या बाहर बिक्री का विनियमन ;

(ख) निजी बाजारों की सीमा निश्चित या निर्धारित करना ;

(ग) निजी बाजारों के लिए पहुँच के उचित रास्ते, आस–पास में स्थान एवं संवीजन ;

(घ) निजी बाजारों तथा वधशालाओं के लिए उचित खड़ंजे तथा जल–निस्सारण का प्रबंध ;

(ङ)ý अनुज्ञप्त भू–मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियन्ताओं, ढाँचा–निर्माताओं, निर्माण लिपिकों तथा नल–मिस्त्रियों के पथ–प्रदर्शनार्थ क्रमशः आज्ञाएँ करना।

———————

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख३.
ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

ख्६,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

ख७,. उक्त शब्द के अर्थान्वियन हेतु कृपया ''ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी'' में उल्लिखित विस्तृत व्याख्यान का निम्नवत् अवलोकन करें—''measure of weight 112 lb or (metric hundred weight) 50 kg. (110.25 lb.).

ख्८,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख्६,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

ख१०,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर रखा गया।